

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-795/2018/931/22-2-2018-17(103)/2011
लखनऊ:दिनांक: 04 अक्टूबर, 2018
आदेश

उत्तर प्रदेश के मा० राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो० शरीफ (बन्दी संख्या-38295) पुत्र श्री मो० नवी, निवासी मो०-खलीलशर्फी, थाना-कोतवाली, जनपद-शाहजहांपुर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-643/1978 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302 के अधीन दिनांक 07.06.1980 को मा० प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-795/2018/931(1)/22-2-2018 तद्विनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2-जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
- 3-पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर।
- 4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
- 5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6-निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करुणेश कुमार सिंह
उप सचिव।